(ग) विवाचक ने निम्नलिखित राशियों के लिए अधि-निर्णय दिया है :—

(1) 31-12-1982 को समाप्त होने वाली अवधि तक बकाया किराये की भुगतान न की गयी शेष राशि 19,34,802.48 रुपये

(2) 31-12-1982 तक देय बकाया राशि पर ब्याज 14,66,802.80 रुपये

34,01,605.28 रुपये

(3) 31.12.82 को देय कुल बकाया राशि पर न्यायालय का नियम बनाने के लिए न्यायालय में पंचाट दायर किये जाने के समय तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और तत्पश्चात् उस माननीय न्यायालय द्वारा, जहां पंचाट दायर किया गया है, जो निर्धारित की जाये उसके अनुसार विवाचक का अधिनिर्णय न्यायालय में दायर करने के लिए रेलवे ने 9.11.84 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया था। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

(घ) रेलवे ने सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पार्टी के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी कार्रवाई प्रगति पर है। रेलवे को देय राशि वसूल करने तथा रेलवे की भूमि से पार्टी को बेदखल करने की कार्रवाई संबंधित न्यायालयों में चल रही है।

दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

1254. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रेलवे की बहुत सारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी जमीन किन-किन लोगों के कब्जे में है; और

(ग) अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली में रेलवे की लगभग 11 हेक्टेयर भूमि अनधिकृत कब्जे में है। अतिक्रमणों की संख्या 7328 है।

(ग) नये अतिक्रमण रेल प्रशासन द्वारा विभागीय तौर पर हटा दिये जाते हैं, जबकि पुराने अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। झुग्गी/झोंपड़ियां दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन की सहायता से हटायी जाती हैं।

Panel on the problems faced by transporters

1255. MISS SAROJ KHAPARDE: \Vill the Minister of TRANSPORT he]ile;iseA to slate:

(a) whether it is *u* ti>ct that Government have set up a panel on the problems being faced by transporters in Delhi;

(h) if so. what are the details thereof;

(c) by vvhijn the report is likely to be submitted by the panel; 'md

(ij) wh:it are the details of the problems being faced by the transporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) Delhi Administration have intimated that with regard to the problems being faced % transporters in Delhi, periodical inter-Departmental reviews are imdertaken on the measines to solve their problems. Director of Ti-ans|X)rt, Delhi Administrafjon, coordinates inter-Departmental actions-. Recently, Chief Executive Councillor bad also taken a Special Meeting to <lisciiss the problems of iransporlers.

The Tropsport Operators have recently brought to the notice of Delhi Administration their specific problems r.nd represented for suitable—

(a) changes in the present system of . ianumerable checks by Delhi Traffic Police causing, avoidable joss of time and bar;:ssment to the Operators;

(b) change in the system of (he powers exercised by Delhi Police under Section 127-B of the Motor Vehicles Act, 1939, to contpound offences and reduction of exhorbitant rates;

(c) permitting of medium Motor , Vebiclci on busy roads:

(d) fixing of capacity of the vehicle according to pDv load;

fe) fixation of yard sticks for *detbt-* minin.T thg validity period for fitness of Vehicles;

(f) reconsideration of prohibiting i|he pressure horns:

(g) strict action against user* of multiple bead-lights;

(h) quick development of land ia Trpnsport Nagars:

(i) priority for developing other ' Complexes of Transport Nagars;

(j) immediate abolition of Terminal Tax.

Cadre review for pcra-msdScar staff

- 1256. SHRI SATYA PAL MALIK.: .Wil the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

• (a) whether any cadre review committee for para-medical personnel exbts ia h«r Ministry;

(b") whether this committee .has made any recommendations in the matter to the Forth Central Pay Commission; and

(c) if so, what are the detaili^ thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S. KRISHNA KUMAR);

(a> No. (b) aJ'S (c) Do not arise.

Connectiug of Kajipur-DeUii direct flight with Kanpur Calcutta flight

1257. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what efforts have been made to connect the existing flight from Kanpur to Delhi and Vice-versa to and from Calcutta to establish the erstwhile link of IC4U and 412;

(b) whether it is a fact that various organisations of trade and commerce in Kanpur have been demanding the estab-lishment of a Kanpur-Calcufta flight with Boeing service with immediate efl'ect; and

(c) if so, the action being contemplated *to* be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATF IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Due to inadequate passenger demand on Kanptn-- Calcutta and Kanpur-Gorakhpur sectors, 'extension of Delhi-Kanpur-Patna Boeing; service upto Calcutta, is not contemplated,

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

बाल्मीकि आश्रम तथा प्रतिभा हेतु रेलवे भूमि का आवंटन

1258. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, लखनऊ ने महर्षि बाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना करने और उनके नाम से एक आश्रम खोलने के लिए रैदास मन्दिर, लखनऊ के सामने खाली पड़ी रेलवे की भूमि के आवंटन हेतु 4 अगस्त, 1980 को अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) उक्त भूमि को संघ को अब तक आवंटित न किये जाने के क्या कारण है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी हां ।

(ख) इस भूमि की रेलवे को अपने ही भावी निर्माण-कार्यों के लिए जरूरत है, इसलिए यह पक्के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ को आवंटित नहीं की जा सकती है ।